



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY

(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)
रेलवे रोड, हरिवाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) - 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001

Phone : +91-135-2685993; Fax : +91-135-2685124; Email : uttarakhandayurveda@gmail.com; Website : www.uau.ac.in;

संख्या : 2462/उ0आ0वि0/परीक्षा/2023

दिनांक : 12/12/2023

कार्यालय आदेश

एतद्वारा एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) बैच- 2022-23 के प्रथम वर्ष की मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।



एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) 2022-23 (प्रथम वर्ष)

क्र0स	दिनांक	दिन	समय	विषय
01	05.03.2024	मंगलवार	10.00 प्रातः 1.00 अपरान्ह	रिसर्च मैथोलॉजी एवं बायोस्टैटिक्स
02	07.03.2024	बृहस्पतिवार	10.00 प्रातः 1.00 अपरान्ह	सम्बंधित विषय

क्र0स0	परिसर/कॉलेज का नाम	सम्बंधित विषय
01	ऋषिकुल परिसर (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय	रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना पंचकर्म शल्य तंत्र शालाक्य तंत्र द्रव्यगुण विज्ञान कायाचिकित्सा कृमारभूतय (बालरोग) रचना शारीर अगदतंत्र एवं विधि वैद्यक रोगनिदान स्त्री एवं प्रसूति रोग
02	गुरुकुल परिसर (हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय	शल्य तंत्र शालाक्य तंत्र पंचकर्म कायाचिकित्सा कौमारभूतय परिचय (बालरोग)
03	हिमालयीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं मेडिकल हॉस्पिटल, जीवनवाला, डोईवाला।	द्रव्यगुण विज्ञान विद्या शारीर रचना शारीर पंचकर्म
04	उत्तरार्चल आयुर्वेद कॉलेज, राजपुर, देहरादून	आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत स्वस्थवृत्त एवं योग अगदतंत्र द्रव्यगुण
05	पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान, हरिद्वार	शल्य तंत्र शालाक्य तंत्र पंचकर्म कायाचिकित्सा रस शास्त्र एवं भेषज्य कल्पना द्रव्यगुण विज्ञान विद्या शारीर आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत
06	क्वाड्रा इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रुडकी।	कायाचिकित्सा शल्यतंत्र





2. प्रयोगात्मक परीक्षा की तिथि परीक्षकों की सहमति पर पृथक से निर्धारित की जायेगी।
3. परीक्षा फार्म एवं नामांकन फार्म को शोधार्थियों से भरा कर दिनांक 20.02.2024 तक विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क के साथ जमा कराना होगा।
4. परिसर निदेशक/प्राचार्य, इस आदेश के साथ संलग्न प्रारूप को भर कर परीक्षा फार्म के साथ प्रेषित करना सुनिश्चित करें।


 (प्र० अनूप कुमार गोकुल)
 प्रभारी कुलसचिव


पृष्ठांकन संख्या : तद्दिनांकित्।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
2. लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. नोडल अधिकारी, सम्बद्धता अनुभाग, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
4. परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर (हरिद्वार) एवं गुरुकुल परिसर(हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करना करने का कष्ट करें।
5. प्राचार्य, हिमालयीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं मेडिकल हॉस्पिटल, डोईवाला को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
6. प्राचार्य, पतंजलि भारतीय आर्युविज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
7. प्राचार्य, उत्तरांचल आयुर्वेद कॉलेज, राजपुर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
8. प्राचार्य, क्वाड्रा इस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, रुडकी, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को अपने सूचना पट्ट पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
9. गार्ड फाईल।


 प्रभारी कुलसचिव


प्रमाण पत्र

एम0डी0/एम0एस0(आयु0)-बैच (प्रथम/अंतिम वर्ष) मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों की सूची

विषय:-.....

क्र0 सं0	अनुक्रमांक	शोधार्थी का नाम	शुल्क का विवरण
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

प्रमाणित किया जाता है कि एम0डी0/एम0एस0(आयु0)-बैच प्रथम/अंतिम वर्ष की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उपरोक्त शोधार्थियों का :-

1. सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण करा लिया गया है।
(विषय विभागाध्यक्ष द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण कराने का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित करें)
2. इस दौरान उक्त शोधार्थियों की परिसर/कॉलेज में नियमित उपस्थिति 75 प्रतिशत/ अधिक रही है।
3. उक्त शोधार्थियों का शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्य पूर्ण हो चुका है।
4. उक्त शोधार्थियों पाठ्यक्रम अवधि में किसी अन्य रोजगार साधन में संलग्न नहीं रहे/रही है।
5. उक्त शोधार्थियों ने परिसर/संस्थान तथा विश्वविद्यालय का समस्त शुल्क जमा कर दिया है।
6. उक्त शोधार्थियों पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित एवं मा0 न्यायालय में कोई वाद लम्बित नहीं है।

अतः उक्त के आलोक में उक्त छात्र/छात्राओं को एम0डी0/एम0एस0(आयु0)-बैच (प्रथम/अंतिम वर्ष) की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने की संस्तुति की जाती है।

विभागाध्यक्ष का नाम एवं हस्ताक्षर

भवदीय,

दिनांक:-

परिसर निदेशक/प्राचार्य
सील

